क्रमाक संख्या : एस० एल० एन०/ (नस्ति फाईल) 2024 - 5177
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन जिला सोलन (हि०प्र०) |

सेवा में,

प्रभारी
सीविल सप्लाई कारपोरेशन सोलन
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि०प्र० |
दिनांक: 14 अक्टूबर, **2024.**

विषय:- सीमेंट जारी करने बारे |

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में इस विकास खण्ड कार्यालय के समस्त कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षरों से इस विकास खण्ड की समस्त 37 ग्राम पंचायतों को सीमेंट जारी करने के अधिकार पत्र आपके कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है | क्यूंकी विकास कार्यों से संबंधित धनराशि सीधे तौर पर पंचायतों के खाते में विभिन्न माध्यमों जैसे आर०टी०जी०एस० , चैक, बैंक ड्राफ्ट नैफट इत्यादि से की जा रही है तथा पंचायतों स्वयं सीमेंट के अलावा अन्य समस्त निर्माण सामग्री अपने स्तर पर व्यय करती है तथा उसका साधारण भी पंचायत स्तर पर पंचायती राज एक्ट अनुसार करती है |

अतः भविष्य से इस विकास खण्ड की सभी 37 ग्राम पंचायतों के सचिवों के हरताक्षरों से जारी अधिकार पत्र पर ही सीमेंट संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधानों/सचिवों को जारी करना सुनिश्चित करें | ताकि पंचायत प्रधानों/सचिवों को सीमेंट व्यय करने हेतु अनावश्यक रूप से विकास खण्ड ना आना पड़े |

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे |

भवदीय,

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन,
जिला सोलन (हि०प्र०) |

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त - 5178-80 — दिनांक 14 अक्टूबर,2024.
प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रधान/सचिव विकास खण्ड सोलन को आदेश दिए जाते है वे भविष्य में अपने स्तर पर सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन सोलन से सीमेंट प्राप्त करने हेतु तकनीकि सहायक की अनुशंसा उपरांत ही लेना व उसका स्टाक रजिस्टर में सधारण करना सुनिश्चित करें |
2. समस्त कनिष्ठ अभियन्ता विकास खण्ड सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |
3. नस्ति फाईल

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन,
जिला सोलन (हि०प्र०) |

Scanned with OKEN Scanner